वस्तुएं	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98(P)
रसायन				
प्रशीनरी औजार	2282	2776	2753	4314

आयात **(करोड़ रु० में)**

वस्तुएं	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98(P)	Average Value
मोती, कीमती और अर्द्ध-कीमती पत्थर	5117	7045	10384	11680	8556
सोना और चांदी	2238	2900	3520	10849	4877
वस्त्र यार्न फैब्रिक्स	1035	1200	1273	1492	1250
अनुषंगी सहित आर० एम०जी० काटन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	—
औषधीय तथा भेषजीय उत्पाद	937	1358	1089	1301	1171
औजारों को छोड़कर अन्य मशीनरी	8565	13127	12937	13160	11947
विद्युतीय मशीनरी (अ) अनंतिम	789	1292	1155	1359	1149

(ग) और (घ) प्रमुख मदें जैसे रत्न तथा आभूषण और भेषजीय पदार्थों की अच्छी सम्भाव्यतीं है। निर्यातों का संवर्धन करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें ये शामिल हैं: निर्यात ऋण पर ब्याज की दरों को कम करना, विकेन्द्रीकरण के माध्यम से कारोबार लागत में कमी, क्रियाविधियों का सरलीकरण और विभिन्न अन्य उपाय जो कि एक्जिम नीति में दिए गए हैं। बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय पहल के जरिए तथा ग्रस्ट क्षेत्र एवम् अधिक ध्यान देने योग्य क्षेत्र अभिज्ञात करके भी निर्यात संवर्धन के उपाय किए गए है।

लघु तथा कुटीर उद्योगों द्वारा किया गया निर्यात

1562. **प्रो० रामगोपाल यादवः**
श्री ईश दत्त यादवः

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर भारत के प्रत्येक राज्य द्वारा लघु तथा कुटीर उद्योगों से प्रतिवर्ष कुल कितने मूल्य का निर्यात किया जाता है तथा उसमें से उत्तर प्रदेश और हरियाणा द्वारा कितने मूल्य का निर्यात किया जाता है;

(ख) क्या हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के लघु और कुटीर उद्योगों को निर्यात में अधिक समस्याओं/कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा निर्बाध रूप से निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार लघु और कुटीर उद्योगों की क्या और किस प्रकार सहायता करेगी?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) निर्यातों के राज्य-वार अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) निर्यात-आयात नीति में लघु और पश्यम वर्गीय निर्यातकों की निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत माल योजना के दायरे को बढ़ाने और सरल करने जैसी लम्बे अर्से से चली आ रही मांग का पहले ही समाधान कर दिया गया है। आरंभिक सीमा को 20 करोड़ रु० से

घटाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। साफ्टवेयर क्षेत्र के लिए इस सीमा को कम करके 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा, कच्चे माल का कम मात्रा में आयात करने वाले निर्यातकों के लिए आयातित कच्चे माल की आपूर्ति को सुकर बनाने के लिए निजी बॉण्डेड भंडारगृह योजना शुरू की गई है। नीतिगत समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है जो व्यापार एवं उद्योग संघों के साथ विचार-विमर्श पर आधारित है।

Rejection of India's Export Promotion Schemes

1563. SHRI C.O. POULOSE:
SHRI JIBON ROY:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether four of India's Export Promotion Schemes have been struck down by the European Commission on the ground that they were indirect subsidies to exporters which hit the European industry;

(b) if so, the schemes which are affected and the quantity and value of exports involved in these schemes;

(c) the points advanced by the European Commission to justify their claims; and

(d) the steps taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): (a) and (b) The following four Export Promotion Schemes have been determined by the European Commission, to be conferring indirect subsidies to the Exports made to the countries belonging to the European Union.

(i) Section 80 HHC of the Income Tax Act

(ii) Advance Licensing Scheme

(iii) Export Promotion Capital Goods Scheme (EPCG)

(iv) Duty Exemption Pass Book Scheme (DEPB)

It will be difficult to assess the quantity and value of exports involved in these schemes under various Anti-Subsidy investigations initated/conducted by the European Union as the quantity and value of exports of various commodities keep fluctuating because of various other factors also.

(c) The European Commission has used the following arguments to justify their claims.

(i) Section 80 HHC of the Income Tax Act: Exemption of export income from Income Tax amounts to giving a subsidy.

(ii) Advance Lincensing Scheme: The contention of the European Commission is that this scheme is contingent upon export performance. Fusther there is no system or procedure in place to confirm which inputs are consumed in the production process of the exported product and in what quantity.

(iii) Export Promotion Capital Goods Scheme: Here, the European Commission is of the view that this scheme is contingent upon export performance *i.e.* the benefit can not be obtained without a commitment to export goods. As such it is deemed to be specific and therefore countervailable.

(iv) Duty Entitlement Pass Book Scheme: European Commission has treated the DEPB scheme as countervailable on the same grounds on which the advance licence scheme has been treated as countervailable.

(d) Government of India has taken all the necessary steps to defend the various targetted schemes. GOI has appointed Brussel based legal firms as well as local legal firms to fight the cases on its behalf. In addition, Government has also undertaken diplomatic lobbying to convince the various EU member